

**The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed):**

(a) The estimates for the second stage have not yet been approved, though the scheme has been technically accepted.

(b) Estimates for the Second Stage are still awaited from the Government of Mysore.

12.10 hrs.

**CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE**

**CATTLE THEFT BY PAKISTANIS ON RAJASTHAN-PAK BORDER.**

**श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) :** अध्यक्ष महोदय, मैं पहले आप से यह निवेदन कर दूँ कि मैं ने इस कार्लिंग एटेंशन का नोटिस 6 अप्रैल को दिया था और आज 14 अप्रैल को उस का उत्तर दिया जा रहा है। अगर इस तरह आठ नौ दिन के बाद उत्तर दिया जायेगा, तो फिर तो उस विषय का महत्व ही खत्म हो जायेगा।

**श्री बड़े (खारगोन) :** कार्लिंग एटेंशन नोटिस को तो इम्मीडिएटली लिया जाना चाहिए। अगर ऐसा न किया जाये, तो फिर शार्ट नोटिस क्वेश्चन और कार्लिंग एटेंशन नोटिस में क्या फर्क रहेगा? यह नोटिस दिये हुए आठ-दस रोज हो गये है।

**Mr. Speaker:** I am making inquiries to find out what happened.

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की और गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

“राजस्थान के बीकानेर तथा गंगानगर जिलों में पाकिस्तानियों

के घुसपैठ और बड़ी संख्या में मवेशी उठा ले जाने के समाचार।”

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** Sir, according to the reports received from the Rajasthan Government so far, there have been 27 cases of theft of cattle by Pakistanis in Bikaner and Ganganagar Districts on Rajasthan-Pakistan border.

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** अध्यक्ष महोदय, उपमन्त्री महोदय हिन्दी जानते हैं। वह हिन्दी में उत्तर क्यों नहीं देते हैं?

**अध्यक्ष महोदय :** उस का तर्जुमा हो रहा है। माननीय सदस्य उस को सुन सकते हैं।

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** अध्यक्ष महोदय, अनुवाद तो अंग्रेजी में भी हो रहा है। इसलिए इस बारे में आप हम पर जो प्रतिबन्ध लगाते हैं, वह प्रतिबन्ध उन पर क्यों नहीं लगाते हैं जो सदस्य हिन्दी नहीं जानते हैं, वे इस वक्तव्य का अंग्रेजी अनुवाद सुन सकते हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं किसी को मजबूर नहीं कर सकता कि वह फ़लां जुबान में बोले। जब दोनों तर्जुमे हो रहे हैं, तो माननीय सदस्य अपनी अपनी भाषा में सुन सकते हैं। अगर तर्जुमा न हो, तो मैं किसी को कहूँ।

**श्री भागवत सा आजाद (भागलपुर) :** अध्यक्ष महोदय, इस हाउस का कानवेन्शन यह रहा है कि हिन्दी प्रश्न या नोटिस का उत्तर हिन्दी में दिया जाता है।

**श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) :** उपमन्त्री महोदय को हिन्दी आती है। वह हिन्दी क्यों न बोलें? उन को हिन्दी में उत्तर देना चाहिए।

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : वह हिन्दी तो जानते हैं ।

**Shri Vidya Charan Shukla:** With regard to Bikaner District, there have been 12 incidents in all. A statement showing the details thereof is placed on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-8042/86].

No cases of intrusion have been reported during the period under report.

#### Ganganagar

So far, the Rajasthan Government have reported 15 cases involving theft of 4 she-camels, 17 camels, 14 oxen, 1 cow, 1 buffalo, 2 donkeys, 150 sheep and 5 goats. A statement indicating the details thereof is placed on the Table of the House.

No case of looting has occurred during this period.

However, 10 cases of illegal entry by Pak nationals were reported in Ganganagar District and the cases have been challaned.

In all the cases, in accordance with the Ground Rules, 1960, the Superintendents of Police of the areas concerned have lodged strong protests with their counter-parts in West Pakistan. The Ministry of External Affairs have also lodged strong protests with the Pakistan High Commission in India with regard to several incidents of theft that occurred during this period.

Hon'ble Members of the House are already aware of the topographical position of the Indo-Pak border in Rajasthan area, which stretches over a vast thinly inhabited sandy desert, where sporadic thefts of this nature are difficult to spot out readily.

The Government is well aware of the situation in the Border areas. The Border Security Force have now assumed charge of the Indo-Pak border

in Rajasthan with effect from 25th March, 1966 and are taking adequate measures to prevent any large-scale lifting of animals.

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** कल के समाचारपत्रों में एक समाचार छपा है कि 9 अप्रैल को हमारी सदर सीमा-चीकी के पास हमारे जवानों ने कुछ पाकिस्तानी नागरिकों को गोसाईपुर में पकड़ा। जो लोग गिरफ्तार किये गये, जब उन्होंने झवाड़ लगाई, तो काफ़ी तादाद में पाकिस्तानी भ्रा गये और उन लोगों को छुड़ा कर ले गये और साथ ही हमारा गोला-बारूद, राइफल और कुछ सामान चुरा कर ले गये। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या बंगाल सरकार ने इस बारे में केन्द्रीय सरकार को लिखा है; यदि हाँ, तो क्या लिखा है और इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार को जो विरोधपत्र दिया गया है, उस का क्या उत्तर प्राया है।

**अध्यक्ष महोदय :** यह कालिग एटेंशन नोटिस तो बीकानेर और गंगानगर जिलों के बारे में है।

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** मैं यह जानना चाहता हूँ कि हमारे विदेश मंत्रालय की ओर से पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को जो विरोधपत्र दिया गया है, उस में क्या लिखा है और उस का क्या उत्तर प्राया है।

**श्री बिद्या चरण शुक्ल :** उस का कोई उत्तर नहीं प्राया है।

**श्री बड़े :** मिनिस्टर महोदय ने अभी कहा है कि मिनिस्ट्री आफ़ एक्स्टर्नल एफ़ेयर्स से पाकिस्तान को एक विरोधपत्र भेजा गया है। मिजो हिल्ड में हमारे जो अफ़सर विद्रोहियों के द्वारा पकड़े गये थे, उन को अभी तक ईस्ट पाकिस्तान में रखा हुआ है और इधर गंगानगर, बीकानेर में फिर उपद्रव शुरू हो गये हैं। क्या शासन यह नहीं समझता है कि पाकिस्तान इस प्रकार के रवैये से ताशकंद समझौते को ठोड़ रहा

[श्री बड़े]

है ? यदि वह यह समझता है, तो क्या उस ने पाकिस्तान सरकार को सूचित कर दिया है कि इस के भयंकर परिणाम होंगे और उस की कार्यवाहियों को ताशकंद समझौते का उल्लंघन माना जायेगा ?

**Shri Vidya Charan Shukla:** As I said, we have lodged a very strong protest against these incidents. These are stray incidents....

**Mr. Speaker:** He wanted to know whether it is in violation of the Tashkent Agreement.

**Shri Vidya Charan Shukla:** Yes, Sir. We have brought that to their notice.

**Shri D. C. Sharma** (Gurdaspur): The Indo-Pakistan border, so far as Bikaner and Ganganagar are concerned, is very vast and it is covered by desert. But all the same I would like to know from the hon. Deputy Minister as to how many miles the Pakistanis intruded into our border so far as Ganganagar and Bikaner are concerned and at what point were our border security police stationed.

**Shri Vidya Charan Shukla:** These are the thieves who come from Pakistan. They are not members of Pakistan's para-military force or any such thing. These are smugglers who come across the border, maybe a few furlongs or maybe one or two miles. They are apprehended and action is taken against them. They are only border incidents. There was no appreciable intrusion into our territory.

**Mr. Speaker:** He wanted to know the distance upto which there was the intrusion.

**Shri Vidya Charan Shukla:** There was no appreciable intrusion....  
(*Interruption*).

**Shri D. C. Sharma:** I rise on a point of order.

**Shri Hem Barua** (Gauhati): May I know, Sir, what is meant by 'appreciable intrusion?' (*Interruption*).

**Shri D. C. Sharma:** If they are regular smugglers operating here, in what way is it breach of the Tashkent Agreement? In what way is he authorised to go to the United Nations and other places? This is a simple case of intrusion and the hon. Minister is glossing over this very very sad occurrence.

**Shri Vidya Charan Shukla:** As I indicated, it is not a case of intrusion. It is only a case of smuggling and theft. These thieves came into our territory to steal the cattle and some of them were apprehended. Some of them were successful in stealing the cattle. No question of intrusion or military or para-military force should be read into this kind of theft cases..

**Mr. Speaker:** Order, order. All these things will not be recorded.  
(*Interruption*).

**Shri Sham Lal Saraf** (Jammu and Kashmir): On a point of clarification. The hon. Minister stated that this amounts to violation of the Tashkent spirit or the Tashkent Agreement. If that is so, how does the question of smugglers come in? Let him clarify that.

श्री प्रकाशबीर शास्त्री (बिजनौर) :  
भभी उप-गृह मंत्री महोदय ने ताशकंद समझौते की चर्चा की है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उस ताशकंद समझौते के बाद राजस्थान, बंगाल और जम्मू-काश्मीर की सीमाओं पर जो इस प्रकार की घटनाएँ बराबर बढ़ती चली जा रही हैं, क्या गृह मंत्रालय की ओर से उन की रोक-थाम के लिए कोई विशेष व्यवस्था की गई है; यदि हाँ, तो वह क्या है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार की ओर से

पाकिस्तान को जो विरोधपत्र भेजे जा रहे हैं, क्या वे नये नये विरोधपत्र टाइप कर के भेजे जाते हैं या वे विरोधपत्र साइक्लास्टाइल कर के रखे हुए हैं और समय समय पर भेजे दिये जाते हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जैसा मैंने बताया है कि बार्डर सिक्यारिटी फोर्स ने 25 मार्च से उस इलाके का चार्ज ले लिया है, हम लोगों ने इस बारे में कुछ खास इन्तजाम वहां पर किये हैं ताकि इस तरह की चोरियां और स्मगलिंग वहां पर न हो पायें, यही हम लोग इस बारे में वहां पर कर सकते थे।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : इस प्रकार की जो घटनायें हो रही हैं, उस से ताशकन्द समझौता को काफ़ी धक्का लग रहा है, इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे मंत्रियों और पाकिस्तानी मंत्रियों में इस बारे में बातचीत हुई थी या भविष्य में कोई ऐसी बातचीत होगी ताकि यह समझौता कायम रह सके ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक बड़ा प्रश्न है, इस के बारे में अलग से प्रश्न पूछा जाय तो जवाब मिल सकेगा।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मिनिस्ट्रों की बातचीत की अभी कोई तजवीज है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अभी कोई नहीं है।

श्री प्रिय गुप्त : मिनिस्टर साहब ने अभी बतलाया है कि यह इन्ड्रूजन का केस नहीं है, यह स्मगलिंग का केस है और फिर कहते हैं कि यह ताशकन्द एप्रोमेन्ट का बायोलेशन है। क्या मैं जान सकता हूं कि कौन लोग पाकिस्तान से हिन्दुस्तान के अन्दर गो आदि चुराने के लिये घुसते हैं, शायद पाकिस्तान सरकार भी इसको नहीं जानती होगी कि ये लोग स्मगलर हैं या नहीं ? क्या पाकिस्तान सरकार ने इस बारे में कोई जवाब दिया है या नहीं ?

Shri Hem Barua: They have lifted some more donkeys.

श्री विद्याचरण शुक्ल : पाकिस्तान सरकार से अभी कोई जवाब नहीं मिला है। जहां तक ताशकन्द समझौते की स्प्रिट का सवाल है, समझौते की स्प्रिट यही थी कि जो हमारी सीमायें हैं उन पर सुरक्षा रखी जायगी, उन पर इस तरह के हादसे नहीं होने दिये जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मेम्बरजं यह पूछना चाहते हैं कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि ताशकन्द स्प्रिट का बायोलेशन है और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ये स्मगलिंग के केसेज हैं। जहां तक स्मगलिंग का ताल्लुक है कोई इन्डीबिज्युल आकर चोरी करता है, स्मगलिंग करता है तो यह एक सेपरेट केस है और इस को गवर्नमेन्ट डील कर सकती है, लेकिन इस का ताशकन्द स्प्रिट से क्या ताल्लुक है, यह तो इन्ड्रूजन नहीं है, आप बतलायें कि ताशकन्द स्प्रिट का कैसे बायोलेशन हुआ है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : ताशकन्द समझौते के अनुसार अपनी सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी दोनों सरकारों की है, उसके अन्तर्गत ये चोरी और स्मगलिंग के केसेज भी आते हैं, इनको रोकने का प्रयत्न दोनों सरकारों को करना चाहिये। (अव्यवधान)\*\*

Mr. Speaker: This will not go on record.

श्री बूटा सिंह (मोगा) : विधान सभा में अपना वक्तव्य देते हुए राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि इन इलाकों के लोगों को जो हथियार दिये गये थे, वे वापस ले लिये गये हैं, शायद हथियार वापस लेने में उनका मतलब ताशकन्द समझौते को कायम रखना था, लेकिन इन हालात में मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार उनको हथियार वापस देगी ताकि उनके जानोमाल की हिफ़ाजत हो सके ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : हम लोगों ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिये कुछ कार्यवाहियां की हैं, जैसे बार्डर सिक्योरिटी फोर्स ने उस एरिया का चार्ज ले लिया है, उसके बाद भी ऐसी घटनायें हुईं और आवश्यकता समझी गई तो वह भी किया जायगा ।

**Shri Kapur Singh (Ludhiana):** Do Government realise how morale-des-troying it is for us to be repeatedly told about these successful Pakistani raids and if so, do they propose to take decisive steps to put a stop to these practices?

**Shri Vidya Charan Shukla:** We are doing our best to do that.

**Shri P. H. Bheel (Dohad):** May I know whether the Government of Rajasthan has withdrawn the arms given to certain people staying near the Rajasthan border, and if so, why?

**Shri Vidya Charan Shukla:** I do not have this information. If a separate notice is given, I shall give the information.

श्री काशी राम गुप्त (अलवर) :  
ये जो चोरियां हुईं, तो वहां बार्डर में कितने गांव हैं, कितने मील के अन्दर ये ? ये चोरियां दिन में हुईं या रात में हुईं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : ये चोरियां ज्यादातर रात में होती हैं । मेरे पास इसकी विस्तृत सूचना नहीं है, माननीय सदस्य अगर अलग से प्रश्न पूछें तो जवाब दिया जा सकता है ।

श्री काशी राम गुप्त : अध्यक्ष महोदय  
इनके पास यह सूचना भी नहीं है कि चोरियां दिन में हुईं या रात में ।

श्री भोंकार लाल बरवा (कोटा) :  
यह गलत बयानी है, ये चोरियां रात में नहीं, दिन में होती हैं ।

12.26 hrs.

#### PAPERS LAID ON THE TABLE

#### NOTIFICATIONS UNDER CENTRAL EXCISE AND SALT ACT AND CUSTOMS ACT

**The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri B. R. Bhagat):** I beg to lay on the Table—

- (1) A statement showing the results of the Defence Loans floated by the Government of India during 1965-66. [Placed in Library. See No. LT-6033/66].
- (2) A copy of the Central Excise (Second Amendment) Rules, 1966, published in Notification No. GSR, 451 in Gazette of India dated the 26th March, 1966, under section 38 of the Central Excises and Salt Act, 1944. [Placed in Library. See No. LT-6034/66].
- (3) A copy each of the following Notifications under section 159 of the Customs Act, 1962, and section 38 of the Central Excises and Salt Act, 1944:—
  - (i) The Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Thirty-seventh Amendment Rules, 1966, published in Notification No. GSR, 394 in Gazette of India dated the 19th March, 1966.
  - (ii) The Customs and Central Excises Duties Export Drawback (General) Thirty-eighth Amendment Rules, 1966, published in Notifi-